[2022] 7 एस. सी. आर. 1005

एन. ई. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड

वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

(2012 की सिविल अपील सं. 5233)

10 मई, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम)-अध्याय 3-बी-केरल धन ऋणदाता अधिनियम, 1958 (केरल अधिनियम)-गुजरात धन ऋणदाता अधिनियम, 2011 (गुजरात अधिनियम)-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर राज्यों के अधिनियम की प्रयोज्यता चाहे वे गैर-बैंकिंग हों।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 3-बी के प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को केरल अधिनियम और गुजरात अधिनियम जैसे राज्य अधिनियमों द्वारा भी विनियमित किया जा सकता है। 1997 के अधिनियम 23 द्वारा, अध्याय 3-बी में किया गया संशोधन, जिसके बाद यह अध्याय जहां तक एन. बी. एफ. सी. का संबंध है, एक पूर्ण संहिता बन गया है-आर. बी. आई. अधिनियम के अध्याय 3-बी की योजना से पता चलता है कि एन. बी. एफ. सी. पर आर. बी. आई. के लिए उपलब्ध हस्तक्षेप की शक्ति पालने से लेकर कब्र तक है-एक बार जब यह पाया जाता है कि आर. बी. आई. अधिनियम का अध्याय 3-बी एन. बी. एफ. सी. के कामकाज की देखरेख करने के लिए आर. बी. आई. को एक पर्यवेक्षी भूमिका प्रदान करता है, तो उनके जन्म के समय से (पंजीकरण के माध्यम से) उनकी वाणिज्यिक मृत्यु के समय तक (समापन के माध्यम से), एन. बी. एफ. सी. की सभी गतिविधियाँ स्वचालित रूप से आर. बी. आई. की जांच के दायरे में आती हैं-परिणामस्वरूप, ऋण के ब्याज का ध्यान रखने का एकमात्र पहलू।

सिद्धांत/सिद्धांत-ग्रहण, संघर्ष और प्रतिकूलता का सिद्धांत-जिस क्षण संसद ने आर. बी. आई. अधिनियम के अध्याय 3-बी में कुछ प्रावधानों को शामिल करके एन. बी. एफ. सी. के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करने के लिए कदम उठाया, उसी से आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत और आर. बी. आई. द्वारा विनियमित एन. बी. एफ. सी. पर केरल अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर एक छाया पड़ जाएगी-गुजरात के मामले में, गुजरात राज्य ने तर्क दिया कि गुजरात अधिनियम आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत एन. बी. एफ. सी. को आर. बी. आई. अधिनियम के तहत आवेदन करने से छूट देता है।

गुजरात अधिनियम के तहत पंजीकरण-हालांकि, यू/एस। 5 (2) में से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुजरात अधिनियम, आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत एन. बी. एफ. सी. को गुजरात अधिनियम-गुजरात अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत माना जाता है, जो आर. बी. आई. अधिनियम के तहत एन. बी. एफ. सी. के विनियमन को मौन रूप से मान्यता देता है।

राज्य को केवल राज्यपाल की मंजूरी मिली-इसलिए, केरल अधिनियम और गुजरात अधिनियम का आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत और आर. बी. आई.-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आर. बी. आई. अधिनियम)-केरल धन ऋणदाता अधिनियम, 1958 (केरल अधिनियम) द्वारा विनियमित एन. बी. एफ. सी. पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

गुजरात धन ऋणदाता अधिनियम, 2011 (गुजरात अधिनियम)।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः केरल अधिनियम, गुजरात अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की योजना

1. तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दे को योजना को देखकर हल किया जाना चाहिए

दो राज्य अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की योजना और सातवीं अनुसूची की उपयुक्त सूची में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ, जिन पर इन अधिनियमों का पता लगाया जा सकता है। [पैरा 4] [1016-डी-ई]

2. केरल धन ऋणदाता अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य ऋणकर्ताओं को अनैतिक धन से सुरक्षा प्रदान करना था

उधारदाता जो ब्याज पर ऋण देते थे। हालांकि यह घोषित किया गया था

उद्देश्यों के कथन में, सामान्य शब्दों में, कि इसका उद्देश्य धन उधार देने के व्यवसाय को विनियमित करना था, अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तपोषण के व्यवसाय के केवल एक पहलू को शामिल करना था। [पैरा 4.7] [1017-ई] 3. केरल अधिनियम की धारा 2 (7) "साहूकार" को परिभाषित करती है। परिभाषा में, 7 विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थाओं को बाहर रखा गया है।

"धन उधार" अभिव्यक्ति की परिभाषा से। एक वित्तीय निगम जो एक बैंक नहीं है और जिसे अन्यथा एन. बी. एफ. सी. के रूप में जाना जाता है, "धन ऋणदाता" अभिव्यक्ति की परिभाषा से बाहर रखी गई संस्थाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। [पैरा 4.8,4.9] [1017-एफ; 1018-जी-एच]

लागू होता है। यह किसी गैर-बैंकिंग संस्थान को परिभाषा से बाहर नहीं करता है। इसलिए, केरल राज्य के अधिकारियों ने दावा करना शुरू कर दिया और तकनीकी रूप से सही है कि एनबीएफसी को "साहूकार" की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। हालांकि एन. बी. एफ. सी. ने दावा किया कि धारा 2 की उप-धारा (7) के खंड (च) के तहत, "कोई भी संस्थान एन. ई. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड v.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

संसद या किसी राज्य का विधानमंडल, किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित होने से पूरी तरह से अलग है। उदाहरण के लिए, सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया जाता है। लेकिन एल. आई. सी. ऑफ इंडिया जैसे निगम की स्थापना एल. आई. सी. के तहत की गई है। भारत अधिनियम। इसलिए, अपीलकर्ताओं का यह दावा करना सही नहीं था कि वे धारा 2 की उप-धारा (7) के खंड (च) में अपवर्जन खंड के अंतर्गत आते हैं। [पैरा 4.15] [1020-एच; 1021-ए-डी]

5. गुजरात अधिनियम की परिभाषाओं के आधार पर, गुजरात अधिनियम के तहत अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों को एनबीएफसी पर भी लागू करने की मांग की। [पैरा 5.4] [1024-बी] भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III-B की योजना और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नियामक उपाय

6.विनियमित करने वाले राज्य अधिनियमों के विपरीत

धन उधार देने का व्यवसाय, जिसका एकमात्र ध्यान केवल उधारकर्ताओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम बैंकिंग, धन उधार देने और देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। लेकिन जब आरबीआइ अधिनियम

अधिनियमित किया गया था, बैंकिंग और वित्त का व्यवसाय ऐसा नहीं था यह जटिल था जैसा कि बाद में पता चला। [पैरा 6.2] [1026-बी]

7. 1960 के दशक की शुरुआत में, सरकार ने उन संस्थानों को विनियमित करना आवश्यक पाया जो बैंक नहीं थे, लेकिन जो थे बैंकिंग से संबद्ध अन्य व्यवसायों को चलाना। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक नवंबर, 1963 में पेश किया गया था। [पैरा 6.3] [1026-सी] [2022] 7 एस. सी. आर.

8. तदनुसार, बैंकिंग कानून (विविध)

प्रावधान अधिनियम), 1963 को उपरोक्त तीन संसदीय अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन करते हुए अधिनियमित किया गया था। यह इस संशोधन द्वारा था जो 01.02.1964 पर लागू हुआ था कि अध्याय III-B को RBI अधिनियम में जोड़ा गया था। इसके लिए शीर्षक वाला अध्याय अध्याय को "जमा और वित्तीय संस्थानों को प्राप्त करने वाले गैर-बैंकिंग संस्थानों से संबंधित प्रावधान" के रूप में पढ़ा जाता है। हालाँकि, इस अध्याय III-B को बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी पर धारा 45H के तहत लागू नहीं किया गया था। धारा 45-I ने खंड (ग) के तहत एक 'वित्तीय संस्थान' को परिभाषित किया है जिसका अर्थ है कोई भी गैर-बैंकिंग संस्थान जो वित्तपोषण का व्यवसाय या अधिग्रहण का व्यवसाय करता है।

शेयर, स्टॉक आदि, या किराया-खरीद लेनदेन का व्यवसाय। [पैरा 6.4] [1027-सी-ई]

बैंक ऑफ इंडिया (संशोधन) अधिनियम, 1997। इस अधिनियम ने धारा 45-I में परिभाषा प्रावधान में संशोधन करके और धारा जैसे कुछ नए प्रावधानों को शामिल करके अध्याय III-B को पूरी तरह से संशोधित किया। 45 - आई. ए., 45-आई. बी., 45-आई. सी., 45-जे. ए., 45-एमबी, 45-एमसी आदि। जहां तक एन. बी. एफ. सी. का संबंध है, 1997 के अधिनियम 23 द्वारा अध्याय 3-बी में किए गए संशोधन के बाद यह अध्याय एक पूर्ण संहिता बन गया है। यह अध्याय III-B के विभिन्न प्रावधानों से देखा जा सकता है। [पैरा 6.10] [1029-एफ-एच]

10. आर. बी. आई. अधिनियम के अध्याय 3-बी की योजना से पता चलता है कि एन. बी. एफ. सी. पर आर. बी. आई. के लिए उपलब्ध हस्तक्षेप की शक्ति पालने से लेकर कब्र तक है। दूसरे शब्दों में, कोई भी एन. बी. एफ. सी. अधिनियम के तहत पंजीकृत हुए बिना व्यवसाय नहीं कर सकता है और एक एन. बी. एफ. सी. जो अधिनियम के तहत पंजीकरण के साथ जन्म लेता है, आर. बी. आई. के कहने पर समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है। गर्भ से लेकर मकबरे तक एन. बी. एफ. सी. के पूरे जीवन को भी आर. बी. आई. द्वारा विनियमित और निगरानी की जाती है। [पैरा 6.11] [1031-एफ-जी] 11. एक बार जब यह पाया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का अध्याय III-B, भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके जन्म के समय (पंजीकरण के माध्यम से) से लेकर उनकी वाणिज्यिक मृत्यु के समय (समापन के माध्यम से) तक एनबीएफसी के कामकाज की देखरेख करने के लिए एक पर्यवेक्षी भूमिका प्रदान करता है, तो सभी एन. ई. डी. यू. एम. पी. आई. एल. आई. एफ. एन. ए. एन. सी. लिमिटेड v.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

एन. बी. एफ. सी. की गतिविधियाँ स्वतः ही आर. बी. आई. की जांच के दायरे में आती हैं। नतीजतन, ब्याज का ध्यान रखने का एकमात्र पहलू

राज्य अधिनियमों द्वारा प्राप्त किए जाने की इच्छा रखने वाले उधारकर्ताओं की राशि को अध्याय III-B के प्रावधानों में शामिल किया जाता है। [पैरा 6,19] [1035-ई-एफ] 12. अध्याय III-B के प्रावधानों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियम, निर्देश और प्रमुख परिपत्र

समय-समय पर एन. बी. एफ. सी. को भी बांधते हैं। चूंकि आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए विनियम, प्रमुख परिपत्र और निर्देश एन. बी. एफ. सी. पर बाध्यकारी हैं, इसलिए उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एन. बी. एफ. सी. के सभी पहलुओं को विनियमित किया जाता है। आर. बी. आई. द्वारा और कुछ भी अछूता नहीं छोड़ा जाता है। हालाँकि, एन. बी. एफ. सी. की कुछ श्रेणियाँ हैं, जिन्हें अधिनियम की धारा 45-एन. सी. द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से स्वयं आर. बी. आई. द्वारा छूट दी जा सकती है। [पैरा 6.20] [1035 जीः 1038 - ई-एफ. आई.

क्या अध्याय III-B एक पूर्ण कोड है?

13. यह पता लगाने के लिए कि क्या एनबीएफसी अध्याय के तहत पंजीकृत हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का III-B और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित अभी भी राज्य अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि

14. कोई भी एन. बी. एफ. सी. अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना व्यवसाय शुरू या चला नहीं सकता है। उनके व्यवसाय में निरंतरता अनुपालन पर निर्भर करेगी -

आर. बी. आई. अधिनियम के साथ-साथ आर. बी. आई. द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों में पाए जाने वाले कुछ निर्देश। आर. बी. आई. के पास एन. बी. एफ. सी. के निदेशक मंडल को हटाने की शक्ति है और उसके पास इसे बंद करने की भी शक्ति है।

एन. बी. एफ. सी. इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी की देखरेख और विनियमन जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक होता है। यदि कोई वैधानिक अधिनियम जो इस प्रकार के नियंत्रण का प्रावधान करता है और

पर्यवेक्षण अपने आप में एक पूर्ण संहिता नहीं है, न्यायालय को नहीं पता कि एक पूर्ण संहिता और क्या हो सकती है। एकीकृत वित्त कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 47 में निर्णय दिया कि "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का अध्याय III-B अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।" [पैरा 7 और 7.1] [1039-डी-एफ] [2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. यह सच हो सकता है कि कई बार भारतीय रिज़र्व बैंक एनबीएफसी द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कदम रखने की कोई शक्ति नहीं है। धारा 45-जे. ए. के तहत उपलब्ध नीति निर्धारित करने और निर्देश जारी करने की शक्ति का उपयोग हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा सकता है। [पैरा 7.4] [1040-सी-डी]

16. धारा 45 एल (1) (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक को देने की शक्ति प्रदान करती है।

उन्हें "। इसलिए, यह कहना कि इस तरह के महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है, सही नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि आरबीआइ आम तौर पर ब्याज की दर निर्धारित करना बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाता है, बिना किसी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के, ऐसा कुछ नहीं है जिसका केरल राज्य द्वारा लाभ उठाया जा सके और एन. बी. एफ. सी. द्वारा ली जाने वाली अधिकतम ब्याज दर निर्धारित की जा सके।

उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर। [पैरा 7.8] [1041-ए-बी]

17. दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने असंगति के तीन महत्वपूर्ण परीक्षणों को दोहराया या

प्रतिकूलता, अर्थात्, (i) क्या दोनों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष है।

दो प्रावधान; (ii) क्या संसद ने प्रतिस्थापित विषय वस्तु के संबंध में एक विस्तृत संहिता निर्धारित करने का इरादा किया था।

राज्य विधानमंडल का अधिनियम; और (iii) क्या संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि समान है। मैदान। इसलिए, राज्य के मामले का समर्थन करने से अधिक, दीप चंद वास्तव में एनबीएफसी के मामले का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमने पाया है कि अध्याय III-B अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। [पैरा 7.9] [1041 सी-डी]

ग्रहण का सिद्धांत, संघर्ष और तिरस्कार

18. जैसा कि दीप चंद में संविधान पीठ ने संकेत दिया है कि एक कानून बनाए जाने पर वैध हो सकता है, लेकिन संवैधानिक विसंगति को नियंत्रित करके या मौजूदा व्यवस्था को नियंत्रित करके उस पर छाया डाली जा सकती है वैधानिक असंगति। यह मानते हुए कि केरल अधिनियम वैध था

एन. बी. एफ. सी. को अपने आवेदन में, जब यह किया गया था, इस आधार पर कि धन उधार देने का व्यवसाय सूची II की प्रविष्टि 30 में पता लगाने योग्य है, इसे संसदीय अधिनियम के लिए रास्ता देना होगा। जिस क्षण संसद ने एन. बी. एफ. सी. के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करने के लिए कदम उठाया, उसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए।

आर. बी. आई. अधिनियम के अध्याय III-बी के तहत, इसकी छाया एन. ई. डी. यू. एम. पी. आई. एल. आई. सी. लिमिटेड v. पर पड़ेगी।

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत और आर. बी. आई. द्वारा विनियमित एन. बी. एफ. सी. पर केरल अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता (यह मानते हुए भी कि यह लागू है)। [पैरा 8] [1041-ई-एफ]

19. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 254 के तहत अस्वीकृति केवल तभी उत्पन्न होगी जब संसदीय कानून और राज्य कानून दोनों

सूची-III के लिए संदर्भित। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आर. बी. आई. अधिनियम का पता केवल सूची-I में प्रविष्टियों के लिए लगाया जा सकता है और राज्य अधिनियमों का पता केवल सूची-II में प्रविष्टि के लिए लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 254 के तहत अस्वीकृति का सवाल नहीं उठता है, जैसा कि अभिनव में कहा गया है। इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन इस तरह के मामलों में अनुच्छेद 246 (1) पूरी तरह से लागू होगा। [पैरा 8.2,8.3] [1044-बी-डी]

क्या संघर्ष का तर्क एक चमत्कार है?

20. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि दोनों अधिनियमों के बीच संघर्ष के किसी भी क्षेत्र की ओर इशारा किए बिना एनबीएफसी

अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 254 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। [पैरा 9] [1045 डी]

21. लेकिन उपरोक्त तर्क में कोई सार नहीं है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि सूची-I, लेख में एक प्रविष्टि के लिए RBI अधिनियम का पता लगाया जा सकता है। 246 (1) खेल में आता है। किसी भी मामले में, संघर्ष के क्षेत्र भी हैं। [पैरा 9.1] [1045-डी-ई]

सर्वोपरि प्रभाव

22. धारा 45-क्यू जो इस पर प्रबल प्रभाव डालती है

अध्याय III-बी, अन्य कानूनों पर। इसलिए, गुजरात और केरल राज्य यह तर्क नहीं दे सकते कि उनके द्वारा बनाए गए कानून अध्याय 3-ख के प्रावधानों के अतिरिक्त। [पैरा 10] [1046-बी]

23. हालाँकि गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि गुजरात अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत एनबीएफसी को गुजरात अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने से छूट देता है, लेकिन यह गुजरात राज्य के बचाव में जाएगा। गुजरात अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत एनबीएफसी को माना जाता है

गुजरात अधिनियम के तहत पंजीकृत। इसलिए, गुजरात अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को गुजरात राज्य में संचालित एनबीएफसी पर लागू करने की मांग की जाती है। गुजरात अधिनियम के अन्य प्रावधानों में (i) तलाशी और जब्ती की शक्ति; (ii) (2022) 7 एस. सी. आर. की आवश्यकता शामिल है।

कुछ पुस्तकों और रजिस्टरों को बनाए रखना और विवरण प्रस्तुत करना; और (iii) अंतिम भुगतान आदि के लिए निर्धारित तिथि से दो साल की अवधि से पहले किसी देनदार से गिरवी, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में ली गई किसी भी वस्तु का निपटान नहीं करने का आदेश। गुजरात अधिनियम सिविल न्यायालय को धारा 30 के तहत कुछ लेनदेन को फिर से खोलने और वसूली योग्य ब्याज को सीमित करने का भी अधिकार देता है। गुजरात अधिनियम की धारा 32 उधारकर्ता को विवाद के निर्णय का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए दीवानी न्यायालय और दीवानी न्यायालय के समक्ष धन जमा करने का अधिकार देती है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात अधिनियम, 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत एनबीएफसी के विनियमन को मौन रूप से मान्यता देता है।

फिर भी राज्य को केवल राज्यपाल की मंजूरी मिली। [पैरा 10.1,10.2] [1046-सी-एफ]

24. केरल अधिनियम और गुजरात अधिनियम का आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत और आर. बी. आई. द्वारा विनियमित एन. बी. एफ. सी. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एनबीएफसी द्वारा दायर सभी अपीलों को अनुमति दी जाती है। इसी तरह गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 11] [1046-जी]

दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648: [1959]

पूरक। एस. सी. आर. 8-अनुसरण किया गया।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (2020) 10 एस. सी. सी. 274: [2020] 2 एससीआर 297; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर.

(2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एस. सी. आर. 33-पर निर्भर।

एकीकृत वित्त कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य (2015) 13 एस. सी. सी. 772: [2013] 13 एस. सी. आर. 938; ज़वेरभाई अमैदास बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 752: [1955] एस. सी. आर. 799; टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1956 एससी 676: [1956] एस. सी. आर. 393; यूको बैंक और एक अन्य बनाम दीपक देबबर्मा और अन्य (2017) 2 एस. सी. सी. 585 [2016] 11 एस. सी. आर. 723; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य (2010) 3 एस. सी. सी. 571: [2010] 2 एससीआर 979; कैलाश सोनकर बनाम श्रीमती. माया देवी (1984) 2 एससीसी 91: [1984] 2 एस. सी. आर. 176-संदर्भित।

एन. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड v. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

मामला कानून संदर्भ

[2020] 2 एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6.1

[2013] 13 एससीआर 938

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1959] पूरक। एस. सी. आर 8

पै

रा 7.2

पीछा किया।

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8.1

[1955] एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.2

[1956] एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.2

[2016] 11 एससीआर 723

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.4

[2010] 2 एससीआर 979

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.4

[1984] 2 एससीआर 176

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5233

2012 से।

उच्च न्यायालय के 18.11.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के डब्ल्यू. ए. No.1379 में एर्नाकुलम में केरल के

के साथ सिविल अपील Nos.5230,5190,5191,5184,5241,5185,5111,5188,

5187 , 5183 और 2012 का 5113,2015 का सिविल अपील @विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.8331, स्थानांतरण याचिका (सीआरएल)। 2015 की No.359, सिविल अपील Nos.5186,5192,5189,5112,5232,5231,5234,5237,5238 और 2012 की 5315, सिविल अपील संख्या। 18786-18787 2017 की सिविल अपील

2015 का No.1324 और 2012 का सिविल अपील No.7836

जयदीप गुप्ता, गुरु कृष्ण कुमार, ए. के. सिंह, जी. उमापति,

कोदंडराम, राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निशी राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, आलिम अनवर, सुश्री मनिका प्रिया एस., रिद्धी बोस, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, सुश्री प्रभा स्वामी, तन्मया अग्रवाल, व्रिक चटर्जी, सोनल कुमार सिंह, अनीश जयपुरिया, गौरव राय, उपेंद्र मिश्रा, आशीष रंजन, रजत नवेत, कुशाग्र पंडित, प्रदीप कुमार बख्शी, ए. रघुनाथ, सुश्री बीना माधवन, तुषार गुप्ता, मैसर्स लॉयर एस. निट एंड कंपनी, बालाजी श्रीनिवासन, प्रतीक यादव, मोहम्मद। शाहरुख, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री दीपानविता प्रियंका, प्रताप वेणुगोपाल,

सुश्री सुरेखा रमन, दिलीप, अखिल अब्राहम रॉय, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी के लिए विजय वाल्सन, नरेश कौशिक, मनोज जोशी, वर्धमान कौशिक, बी. पुरुषोत्तम रेड्डी, आर. आनंद पद्मनाभन, ए. रघुनाथ, अनुज [2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेरी, विभोर यादव, एस. एस. श्रॉफ, के. वी. मोहन, के. वी. बालकृष्णन, पी. एस. प्रशांत, विकास मेहता, सुश्री आकांक्षा विज्ञान, ई. एम. एस. अनम, एम. पी. विनोद, अतुल शंकर विनोद, दिलीप पिल्लई, अजय कुमार जैन, टी. एल. वी. रामाचारी, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, टी. एन. रामा राव, ई. विनय कुमार, नरेश कुमार, संजीव सिंह, सुश्री काजल भाटिया, सुश्री सुधांशु पालो, बुद्ध देव पालो, अभिलाष कुमार त्रिपाठी, सुश्री पद्मा चौधरी, बी. जगन्नाथ राव, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. यह सवाल कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3-बी के प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (संक्षेप में "एनबीएफसी" के लिए) को केरल धन ऋणदाता अधिनियम, 1958 (इसके बाद "केरल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और गुजरात धन ऋणदाता अधिनियम, 2011 (इसके बाद "गुजरात अधिनियम" के रूप में संदर्भित) जैसे राज्य अधिनियमों द्वारा भी विनियमित किया जा सकता है, इन अपीलों में हमारे विचार के लिए केरल और गुजरात उच्च न्यायालयों के विपरीत विचार उत्पन्न हुए हैं।

2. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है,

केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

फैक्ट मैट्रिक्स

3. तथ्यात्मक मैट्रिक्स में एक संक्षिप्त प्रवास सेटिंग प्रदान कर सकता है, जिसके संदर्भ में, कानून का उपरोक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ है। यह इस प्रकार हैः

केराला

3.1 केरल राज्य के विधानमंडल ने केरल अधिनियम, 1958 पारित किया, जिसका उद्देश्य केरल राज्य में धन उधार देने के व्यवसाय के विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान करना था। उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि उक्त अधिनियम को पारित करके, "यह वित्तीय कंपनी सीमित नहीं है।

का राज्य

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

इसका उद्देश्य साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज को विनियमित करना और उधारकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना था। उस समय जब यह अधिनियम लागू किया गया था, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अवधारणा भारत में बहुत परिचित नहीं थी। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक और संसद ने उन वित्तीय कंपनियों को विनियमित करने के लिए कदम नहीं उठाया था जो बैंक या बैंकिंग कंपनियां नहीं थीं।

3.2 ऐसा प्रतीत होता है कि एनबीएफसी के मशरूम विकास के बाद,

इसलिए, छूट के लिए केरल सरकार से असफल रूप से संपर्क करने के बाद, एनबीएफसी ने केरल उच्च न्यायालय की फाइल पर रिट याचिकाओं का एक समूह दायर किया। 3.3 केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया और उक्त आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने की। इसलिए, केरल राज्य में कार्यरत एन. बी. एफ. सी. ने अपीलों का उपरोक्त समूह पेश किया है।

3.4 केरल राज्य में कार्यरत एन. बी. एफ. सी. द्वारा की गई सभी अपीलें, एन. बी. एफ. सी. द्वारा पंजीकृत होने की घोषणा की मांग करने वाली रिट याचिकाओं से उत्पन्न होती हैं।

आर. बी. आई. अधिनियम के तहत केरल अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। कई अपीलों के अलावा स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) में भी एक याचिका है। 2015 का आई. डी. 1, बजाज फाइनेंस लिमिटेड नाम के एक एन. बी. एफ. सी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत केरल उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित रद्द करने की याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

केरल अधिनियम के तहत।

गुजरात

3.5 बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट, 1946, जो गुजरात राज्य में लागू था, को वर्ष 2009 में गुजरात राज्य में संचालित एनबीएफसी के खिलाफ धन ऋणदाताओं की रोकथाम के कार्यालय में पंजीयक द्वारा लागू करने की मांग की गई थी। इस तरह शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए, एन. बी. एफ. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष नागरिक आवेदनों का एक समूह दायर किया

गुजरात से। जब यह लंबित था, तब केरल उच्च न्यायालय का निर्णय आया। लेकिन केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत होते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट के तहत एनबीएफसी को जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.6 इसके बाद, गुजरात राज्य के विधानमंडल ने गुजरात अधिनियम, 2011 (2011 का गुजरात अधिनियम 14) पारित किया, जिसे 6.04.2011 पर राज्यपाल की सहमति मिली और इसे 8.04.2011 पर गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

3.7 इसलिए, विशेष नागरिक आवेदनों का एक नया बैच दायर किया गया था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि 2011 के गुजरात अधिनियम 14 के प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत एनबीएफसी पर लागू नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विशेष नागरिक आवेदनों को यह मानते हुए अनुमति दी कि 2011 का गुजरात अधिनियम 14 विधायी अक्षमता के लिए संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस हद तक कि यह इस पर नियंत्रण रखना चाहता है। आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत एन. बी. एफ. सी. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एक परिणामी निर्देश भी जारी किया गया था जिसमें राज्य सरकार को आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत एन. बी. एफ. सी. के खिलाफ गुजरात अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से रोक दिया गया था। इसलिए, गुजरात राज्य सिविल अपील लेकर आया है।

केरल अधिनियम, गुजरात अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की योजना

4. ऊपर वर्णित तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दे को योजना को देखकर हल किया जाना चाहिए

दो राज्य अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की योजना और सातवीं अनुसूची की उपयुक्त सूची में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ, जिन पर इन अधिनियमों का पता लगाया जा सकता है। 4.1 संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में तीन प्रविष्टियाँ हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं:

प्रविष्टि No.38: भारतीय रिजर्व बैंक

((i)

((ख)

बैंकिंग, बीमा और सहित व्यापारिक निगम वित्तीय निगम लेकिन सहकारी समितियों को शामिल नहीं करते हैं।

(iii) प्रविष्टि No.45: बैंकिंग

4.2 सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) में प्रविष्टि No.30 में एक प्रविष्टि है, जिसमें लिखा है: धन ऋण और साहूकार; कृषि ऋण से राहत "। 4.3 इसलिए, धन उधार देने के व्यवसाय को विनियमित करने वाला और उधारकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का इरादा रखने वाला कोई भी राज्य अधिनियम, सूची-II की प्रविष्टि No.30 के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन उसी समय किसी भी संसदीय

वित्तीय निगमों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित अधिनियम, सूची-I में प्रविष्टि No.43 के अंतर्गत आएगा।

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

4.4 इसलिए, शुरुआत में, यह स्पष्ट है कि की क्षमता

केरल और गुजरात राज्यों की विधानसभाओं द्वारा धन उधार देने के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक कानून बनाने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि उनकी शक्ति सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 30 में पाई जा सकती है।

लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वित्तीय निगमों के निगमन और विनियमन के लिए संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी ऐसे वित्तीय निगमों का विनियमन जारी रहेगा या नहीं।

राज्य अधिनियमों द्वारा भी, इस आधार पर कि वे राज्य के तहत "साहूकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर भी आ सकते हैं।

अधिनियम।

4.5 उपरोक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, यह उपयोगी हो सकता है।

केरल और गुजरात राज्य की योजना का विहंगम दृश्य देखने के लिए

अधिनियम।

केरल अधिनियम की व्यापक योजना

4.6 एक तरह से केरल अधिनियम मद्रास मोहरे की विरासत है

दलाल अधिनियम, 1943, जिसके प्रावधान लागू रहे मालाबार जिला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के बाद भी, जब तक कि इसे 1963 के केरल धन ऋणदाता (संशोधन) अधिनियम 33 द्वारा निरस्त नहीं किया गया था।

4.7 जैसा कि वस्तुओं और कारणों के कथन से देखा जाता है, केवल

केरल धन ऋणदाता अधिनियम का उद्देश्य ब्याज पर ऋण देने वाले बेईमान साहूकारों से उधारकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना था। यद्यपि उद्देश्यों के विवरण में, सामान्य शब्दों में, यह घोषित किया गया था कि इसका उद्देश्य धन उधार देने के व्यवसाय को विनियमित करना था, इस अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तपोषण के व्यवसाय के केवल एक पहलू को शामिल करना था।

4.8 केरल अधिनियम की धारा 2 (7) "साहूकार" को इस प्रकार परिभाषित करती है -

निम्नलिखित हैः

" 2. परिभाषाएँ। XXX XXX

XXX

XXX

(7) “ धन-ऋणदाता "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका मुख्य या सहायक

व्यवसाय ऋणों को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने का व्यवसाय है।

या ऐसे व्यवसाय के दौरान जमाओं की स्वीकृति और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे उसके द्वारा प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है

शाखा कार्यालय या शाखा कार्यालय या कोई संपर्क कार्यालय या कोई

उसके प्रमुख स्थान का किसी भी नाम से जाना जाने वाला अन्य पद व्यवसाय और एक प्यादा दलाल, लेकिन इसमें शामिल नहीं है

एक बैंक या एक सहकारी समिति; या [2022] 7 एस. सी. आर.

(अ)

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना

(ख)

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 3 के तहत,

1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 31); या

(bb) औद्योगिक ऋण और निवेश निगम

इंडिया कंपनीज के अंतर्गत निगमित इंडिया लिमिटेड

अधिनियम, 1913 (1913 का 7);

((ग)

के तहत स्थापित औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 3,

1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 15); या

((घ)

XXXX x x x x

राज्य वित्तीय निगम के तहत स्थापित

(ई)

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3

(1951 का केंद्रीय अधिनियम 63); या

किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई संस्था

(च)

संसद या किसी राज्य का विधानमंडल, जो अनुदान देता है

के प्रावधानों के अनुसरण में कोई ऋण या अग्रिम

वह अधिनियम या,

सार्वजनिक क्षेत्र की कोई अन्य संस्था, चाहे

(जी)

सरकार द्वारा निगमित या छूट प्राप्त नहीं अधिसूचना।

स्पष्टीकरण I-जहाँ कोई व्यक्ति, जो राज्य में कार्य करता है।

केरल का ऋणों को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने का व्यवसाय है

राज्य के बाहर निवासी, ऐसे निवासी व्यक्ति का अभिकर्ता

राज्य में इस संबंध में साहूकार माना जाएगा।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय का।

धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा के खंड (ए) के लिए प्रावधान धारा 10 की धारा (3), [धारा 16 ख] और धारा 17,

"व्यक्ति" शब्द में "एक फर्म या एक संयुक्त परिवार" शामिल होगा।

33.33

4.9 जैसा कि परिभाषा से देखा गया है, 7 विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएं

"धन उधार" अभिव्यक्ति की परिभाषा से अलग किया गया। ए. सी. आई. एल. निगम जो एक बैंक नहीं है और जो अन्यथा जाना जाता है

बी. एफ. सी., परिभाषा से बाहर रखी गई संस्थाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

ई अभिव्यक्ति "साहूकार"।

डम्पीली फाइनैंस कंपनी लिमिटेड v. राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

4.10 एक बैंक को अभिव्यक्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया है

आई लेंडर ", खंड (ए) के आधार पर। लेकिन "बैंक" शब्द को धारा 2 (1 ए) में इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" सेक. 2 (1(क) "बैंक" का अर्थ है

((i)

एक बैंकिंग कंपनी जिसके लिए बैंकिंग विनियमन

अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम 10) लागू होता है;

भारतीय स्टेट बैंक का गठन स्टेट बैंक के तहत किया गया था

((ख)

भारत का अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 23);

((ग) की धारा के खंड (ट) में परिभाषित सहायक बैंक।

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम। 1939

(1959 का केंद्रीय अधिनियम 38);

((iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के तहत,

1964 (1964 का केंद्रीय अधिनियम 18);

धारा 3 के तहत गठित एक संबंधित नया बैंक

(v)

उपक्रम) अधिनियम, 1970 (1970 का केंद्रीय अधिनियम 5); क्षेत्रीय के तहत स्थापित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(vi)

ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का केंद्रीय अधिनियम 21);

(vii) धारा 3 के तहत गठित एक संबंधित नया बैंक।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का केंद्रीय अधिनियम 40);

(viii) के तहत स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक

भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (केंद्रीय अधिनियम 28)

1981);

(ix) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का केंद्रीय अधिनियम 61) के तहत स्थापित विकास;

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई

(x)

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम के तहत,

1984 (1984 का केंद्रीय अधिनियम 62);

4.11 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 "बैंकिंग" को परिभाषित करता है।

धारा 5 (सी) के तहत निम्नानुसारः

22] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. व्याख्या

XXX

XXX

XXX

(ग) "बैंकिंग कंपनी" से कोई भी कंपनी अभिप्रेत है जो लेन-देन करती है।

भारत में बैंकिंग का व्यवसाय; स्पष्टीकरण। कोई भी कंपनी जो इसमें लगी हुई है

माल का निर्माण या कोई व्यापार करना और जो केवल अपने व्यवसाय के वित्तपोषण के उद्देश्य से जनता से धन की जमा राशि स्वीकार करता है, जैसे कि निर्माता या

व्यापारी को इस खंड के अर्थ के भीतर बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करने वाला नहीं माना जाएगा।

4.12 "बैंकिंग" शब्द को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 5. व्याख्या

XXX

XXX

XXX

(बी) "बैंकिंग" का अर्थ है, उधार देने या निवेश के उद्देश्य से, जनता से धन की जमा राशि को स्वीकार करना, मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी;

4.13 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) में निहित "बैंकिंग" शब्द की परिभाषा के आधार पर, एक संस्था या व्यावसायिक संस्था जो जनता से धन की जमा राशि स्वीकार नहीं करती है, या तो ऋण देने के उद्देश्य से या निवेश के उद्देश्य से, एक बैंकिंग कंपनी नहीं होगी। जबकि एक बैंकिंग कंपनी जमा स्वीकार करने और धन उधार देने दोनों के व्यवसाय में शामिल हो सकती है, एक वित्तीय संस्थान जो केवल ऋण देने के व्यवसाय में लगा हुआ है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत "बैंकिंग कंपनी" अभिव्यक्ति की परिभाषा के दायरे में नहीं आ सकता है।

4.14 चूंकि एन. बी. एफ. सी. जो जनता से जमा स्वीकार नहीं करते हैं

यह स्पष्ट करते हुए कि नियंत्रण का कोई दोहराव नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एच में कहा गया है कि अध्याय 3-बी के प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होंगे। 4.15 लेकिन केरल अधिनियम में "साहूकार" की परिभाषा में केवल एक "बैंक" शामिल नहीं है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू होता है। यह.

किसी गैर-बैंकिंग संस्थान को परिभाषा से बाहर नहीं करता है।

इसलिए, एन. ई. डी. यू. एम. पी. एल. आई. एल. आई. एन. ए. सी. लिमिटेड v. राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

केरल राज्य के अधिकारियों ने दावा करना शुरू कर दिया और तकनीकी रूप से सही है,

कि एनबीएफसी को "साहूकार" की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। यद्यपि एन. बी. एफ. सी. ने दावा किया कि धारा 2 की उप-धारा (7) के खंड (च) के तहत, "किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई भी संस्था संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को "धन-ऋणदाता" अभिव्यक्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया है और यह तर्क पाया गया कि एन. बी. एफ. सी. की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत की गई है।

राज्य द्वारा एक जटिल तर्क पर आधारित होना। हम यह भी सोचते हैं कि राज्य का ऐसा सोचना सही था, क्योंकि एन. बी. एफ. सी. संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा या उसके तहत स्थापित नहीं किए जाते हैं। संसद या राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत एक व्यावसायिक इकाई का निगमन/पंजीकरण, एक अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित होने से पूरी तरह से अलग है। उदाहरण के लिए, सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया जाता है। लेकिन एल. आई. सी. ऑफ इंडिया जैसे निगम की स्थापना एल. आई. सी. ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत की गई है। इसलिए, अपीलकर्ताओं का यह दावा करना सही नहीं था कि वे अपवर्जन के अंतर्गत आते हैं

धारा 2 की उप-धारा (7) के खंड (च) में खंड। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम केरल अधिनियम की योजना को देखें।

4.16 केरल अधिनियम की योजना इस प्रकार हैः

(1)

ऋणदाता के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बनाना

अधिनियम के तहत;

((ख)

किसी भी व्यक्ति को जारी रखने या जारी रखने से प्रतिबंधित करना

बिना लाइसेंस के धन उधार देने का व्यवसाय;

साहूकारों को दर पर ब्याज लेने से रोकने के लिए

(iii)

अधिनियम के तहत निर्धारित दर से अधिक;

(iv) साहूकारों को कोई भी उपहार देने से रोकने के लिए,

ब्याज के अलावा कमीशन या उपहार

किसी भी जमाकर्ता के लिए धारा 4 (2);

देनदार को देय राशि जमा करने में सक्षम बनाने के लिए

(v)

ऋण की वसूली के लिए किसी वाद पर विचार करने और पूर्ण या पूर्ण अभिलेख की मांग करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में ऋण

ऋण की आंशिक संतुष्टि;

(vi)

साहूकारों के लिए बही रखना अनिवार्य बनाने के लिए

खाते और रसीदें देना;

(vii)

प्यादा दलाल के लिए प्यादा जारी करना अनिवार्य बनाना

टिकट, जिसका कब्जा इस धारणा को जन्म देगा कि मोहरे के टिकट के धारक को भुनाने का अधिकार है

(viii) गिरवी के मोचन, गिरवी की बिक्री और गिरवी के मूल्यह्रास के लिए मुआवजे की प्रक्रिया निर्धारित करना;

(ix) निरीक्षण की कुछ शक्तियों के साथ निरीक्षकों की नियुक्ति करना और

खोज;

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को अतिरिक्त माँग करने के लिए सशक्त बनाना

(x)

ऋणदाता से प्रतिभूति, यदि देनदारियों की अधिकता है

किसी भी समय साहूकारों की परिसंपत्तियों पर; और

(xi) लाइसेंस को रद्द करने, प्रतिभूति को जब्त करने और इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान।

एक्ट करें।

5. गुजरात अधिनियम

5.1 गुजरात अधिनियम धारा 2 (10) में "साहूकार" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति, एक एचयूएफ, एक कंपनी, एक प्यादा-दलाल या गैर-निगमित कंपनी (i) जो राज्य में धन उधार देने का व्यवसाय करती है या (ii) जिसका राज्य में इस तरह के व्यवसाय का प्रमुख या सहायक स्थान है।

5.3 उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, किसी भी व्यावसायिक इकाई/व्यक्ति के लिए गुजरात अधिनियम का अनुप्रयोग इस परिभाषा के इर्द-गिर्द घूमता है। "ऋण" शब्द से। धारा 2 (9) में इसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" ऋण "का अर्थ है अग्रिम, चाहे वह धन का हो या किसी प्रकार का,

ब्याज, प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, और इसमें अग्रिम शामिल है,

छूट, या के लिए या उसके कारण या उसकी ओर से भुगतान किया गया धन

किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर, या आवश्यकता के लिए सहनशीलता

किसी भी खाते में देय धन का भुगतान, और

(जो भी इसकी शर्तें या रूप हो) जो सार में या प्रभाव में धन का ऋण है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है ((क) सरकार में धन या अन्य संपत्ति का जमा होना।

डाकघर, एक बैंक, एक कंपनी या एक सहकारी समिति; डम्पिली फाइनेंस कंपनी लिमिटेड V.

राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

((ख) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी सोसायटी या संघ को ऋण, या उसके द्वारा, या जमा राशि, या

सार्वजनिक, धार्मिक या धर्मार्थ से संबंधित अन्य अधिनियम

वस्तु; (ग) राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण।

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी; ((घ) किसी सरकारी कर्मचारी को किसी निधि से दिया गया ऋण,

कर्मचारी और जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है; (ई) के साथ धन की जमा राशि या किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम ऋण

सहकारी समिति;

(च) भविष्य निधि में किसी अभिदाता या जमाकर्ता को उसके खाते में जमा राशि में से अग्रिम राशि

निधि के नियमों के अनुसार निधि;

(छ) बीमा अधिनियम, 1938 में परिभाषित किसी बीमा कंपनी को या उसके द्वारा दिया गया ऋण;

(ज) सरकारी कंपनी द्वारा दिया गया ऋण, जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956;

(i) धन-ऋण के अलावा किसी भी व्यवसाय को करने वाले किसी भी व्यापारी द्वारा प्रामाणिक रूप से किया गया अग्रिम, यदि ऐसा अग्रिम ऐसे व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में किया जाता है; (जे) राष्ट्रीय कृषि बैंक द्वारा दिया गया ऋण

और राष्ट्रीय बैंक के तहत स्थापित ग्रामीण विकास

कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 के लिए;

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित; (1) लघु उद्योग विकास के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिया गया ऋण

भारतीय बैंक अधिनियम, 1989;

(एम) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिया गया ऋण,

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत गठित; (एन) राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिया गया ऋण

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित

; और [2022]

7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(0) किसी संस्था द्वारा दिया गया ऋण-(1) या

संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत, जो

प्रावधानों के अनुसरण में कोई ऋण या अग्रिम अनुदान

उस अधिनियम का, या (2) राज्य द्वारा इस संबंध में अधिसूचित सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से;

5.4 उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, कैट अधिनियम के तहत अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों को एनबीएफसी पर भी लागू करने की मांग की। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम अधिनियम की योजना को देखें।

5.5 गुजरात अधिनियम की व्यापक योजना इस प्रकार हैः

साहूकारों के पंजीकरण की व्यवस्था करना;

((i)

किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने से प्रतिबंधित करना

((ख)

पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना धन उधार

संबंधित क्षेत्र का सम्मान; महापंजीयक, महापंजीयक और अन्य को सशक्त बनाना।

(iii)

अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और तलाशी लेने के लिए अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी और

दौरे पड़ना;

(iv) प्रत्येक साहूकार को रखने और बनाए रखने के लिए अनिवार्य करना।

उचित लेखा बहियां और अन्य रजिस्टर;

(v)

साहूकारों के लिए वार्षिक रूप से फाइल करना अनिवार्य बनाने के लिए प्रत्येक देनदार के खातों का विवरण;

(vi) धन द्वारा ली गई किसी भी वस्तु के निपटान पर प्रतिबंध लगाना।

ऋणदाता से ऋण के लिए बांड, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में ऋण, तारीख से दो साल की अवधि के लिए

ऋण के वित्तीय पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित;

(vii) निर्णय लेते समय सिविल न्यायालय की शक्तियों को विनियमित करना।

जिन मुकदमों पर अधिनियम लागू होता है, ताकि न्यायालय संतुष्ट हो कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाता है;

(viii) ऋण की तारीख को देय ऋण के मूलधन से अधिक राशि पर ब्याज देने की न्यायालय की शक्ति को कम करना।

आदेश;

(ix) न्यायालय को डिक्रिटल के भुगतान की अनुमति देने के लिए सशक्त बनाना।

किश्तों द्वारा राशि;

(x) न्यायालय को पिछले लेन-देन को फिर से खोलने के लिए भी सशक्त बनाना; NEDUMPILLI FINANCE COMPANY LIMITED v.

राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

(xi) ऋणकर्ता को देय राशि जमा करने में सक्षम बनाना।

न्यायालय में ऋण का सम्मान;

(xii) अधिकतम राशि तय करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाना।

किसी भी स्थानीय क्षेत्र या व्यवसाय के वर्ग के लिए ब्याज की दर;

(xiii) ऋणदाताओं को लागत, शुल्क या खर्च के रूप में किसी भी राशि को देनदार से प्राप्त करने से रोकने के लिए;
(xiv) ऋणदाता के लिए अग्रिम जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाना, जब भी ऋण किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है।

तृतीय पक्ष;

(xv) साहूकारों को किसी भी वचन पत्र, पावती, बांड या अन्य लेखन को स्वीकार करने से प्रतिबंधित करना जो

ऋण की वास्तविक राशि नहीं बताती है या जो राशि को गलत तरीके से बताती है या जिसमें विलोपन या अति-लेखन शामिल है;

और

(xvi) प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करना।

अधिनियम से।

5.6 यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि गुजरात अधिनियम की धारा 39 में एक बहुत ही अजीब प्रावधान है जो इस प्रकार हैः

" इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी साहूकार अपने द्वारा दिए गए ऋण के मूलधन या ब्याज की वसूली नहीं करेगा। उस पर नकद को छोड़कर या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से।

5.7 हालाँकि हम इस तरह की वैधता से चिंतित नहीं हैं।

प्रावधान हम उक्त प्रावधान पर ध्यान देने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-एसएस के अंतर्गत आता है।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III-B की योजना और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नियामक उपाय

6.1 जैसा कि इस न्यायालय ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक 1 में कहा है, "केंद्रीय बैंक की भूमिका।

जैसे कि रिजर्व बैंक, एक अर्थव्यवस्था में, (i) मुद्रा; (ii) मुद्रा आपूर्ति और (iii) ब्याज दरों का प्रबंधन करता है। इनमें से एक

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 पर आपत्ति जताता है जैसा कि इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है।

1 (2020) 10 एससीसी 274 [2022] 7 एस. सी. आर.

"देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना" है।

6.2 इसलिए, विनियमित करने वाले राज्य अधिनियमों के विपरीत

धन उधार देने का व्यवसाय, जिसका एकमात्र ध्यान केवल उधारकर्ताओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम बैंकिंग, धन उधार देने और देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। लेकिन जब आर. बी. आई. अधिनियम लागू किया गया, तो बैंकिंग और वित्त का व्यवसाय उतना जटिल नहीं था जितना बाद में निकला।

6.3 1960 के दशक की शुरुआत में, सरकार ने यह आवश्यक पाया कि

उन संस्थानों को विनियमित करता है जो बैंक नहीं थे, बल्कि जो बैंकिंग से संबद्ध अन्य व्यवसायों को चला रहे थे। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक में संशोधन करने के लिए एक विधेयक।

(सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 नवंबर, 1963 में लागू किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि बैंकों से संबंधित मौजूदा अधिनियमों में ऐसे बैंकों या संस्थानों पर किसी भी नियंत्रण का प्रावधान नहीं है और इसलिए यह आवश्यक महसूस किया गया कि रिजर्व बैंक को उन शर्तों को विनियमित करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जिन पर गैर-बैंकिंग कंपनियों या संस्थानों द्वारा जमा स्वीकार की जा सकती है, ताकि रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक और ऋण प्रणाली का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। वस्तुओं और कारणों के कथन में वर्णित महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक इस प्रकार हैः

" रिजर्व बैंक को किसी को भी देने का अधिकार होना चाहिए।

वित्तीय संस्थान या संस्थानों के संबंध में निर्देश

जिन मामलों में रिजर्व बैंक, देश के केंद्रीय बैंकिंग संस्थान के रूप में, ऋण नीति के नियंत्रण के दृष्टिकोण से रुचि ले सकता है "

विधेयक के साथ खंडों पर टिप्पणियों का खंड (5) पढ़ा गया

इस प्रकार हैः

" खंड 5. - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय पेश करने का प्रस्ताव है ताकि उस बैंक को रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके

और (ए) कुछ वित्तीय संस्थानों, अर्थात् फर्मों से जानकारी,

कंपनियाँ या अन्य निगमित निकाय जो व्यापार, उद्योग, वाणिज्य या कृषि का वित्तपोषण कर रहे हैं, या अपने व्यवसाय के एक भाग के रूप में शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, या मुख्य रूप से किराया खरीद लेनदेन के वित्तपोषण में लगे हुए हैं और (बी) आम जनता के सदस्यों से जमा स्वीकार करने वाले गैर-बैंकिंग संस्थान। दिखाई देने वाली वस्तुएँ

एन. ई. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड v. के लिए प्रावधान करना है। राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

((i) वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।

बेहतर या अधिक प्रभावी नियंत्रण के हित में ऊपर उल्लिखित

ऋण का, और
((ii) जनहित में इन और अन्य गैर-बैंकिंग संस्थानों द्वारा जमा स्वीकार करने के व्यवसाय का विनियमन।

रिजर्व बैंक को सामान्य रूप से प्रदान करने का अधिकार होगा या विशेष आदेश, उन प्रपत्रों के लिए जिसमें उसे विवरणी और जानकारी प्रदान की जानी है, और किसी भी वर्ग को निर्देश देने के लिए

संस्थाओं या विशेष रूप से किसी संस्था को प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया गया। रिजर्व बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जहां आवश्यक हो, निरीक्षण करने में भी सक्षम होगाः

नया अध्याय "।

6.4 तदनुसार, बैंकिंग कानून (विविध प्रावधान अधिनियम), 1963 को अधिनियमित किया गया था, जिसमें उपरोक्त तीन प्रावधानों में संशोधन किया गया था।

संसदीय अधिनियम। यह इस संशोधन द्वारा था जो 01.02.1964 पर लागू हुआ था कि अध्याय III-B को RBI अधिनियम में जोड़ा गया था। इस अध्याय के अध्याय शीर्षक में कहा गया है, "जमा और वित्तीय संस्थानों को प्राप्त करने वाले गैर-बैंकिंग संस्थानों से संबंधित प्रावधान"। हालाँकि, इस अध्याय III-B को बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी पर धारा 45-H के तहत लागू नहीं किया गया था। धारा 45-I ने खंड के तहत एक 'वित्तीय संस्थान' को परिभाषित किया (ग) जिसका अर्थ है कोई गैर-बैंकिंग संस्थान जो वित्तपोषण या शेयरों, शेयरों आदि के अधिग्रहण का व्यवसाय करता है, या किराया-खरीद लेनदेन का व्यवसाय करता है।

6.5 अध्याय III-बी जैसा कि बैंकिंग कानूनों द्वारा पेश किया गया था

(विविध प्रावधान अधिनियम), 1963 में कोई वर्तनी-बाध्यकारी या पथप्रदर्शक प्रावधान नहीं थे। मोटे तौर पर, अध्याय III-B जैसा कि इसे मूल रूप से पेश किया गया था

1963 में, (i) भारतीय रिज़र्व बैंक को धन जमा करने के लिए प्रॉस्पेक्टस या विज्ञापन जारी करने को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया; (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक को जमा के बारे में गैर-बैंकिंग संस्थानों से जानकारी एकत्र करने और निर्देश देने का अधिकार दिया गया; (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय संस्थानों से जानकारी मांगने और निर्देश देने का अधिकार दिया गया, जिसका उद्देश्य विनियमित करना था। देश की ऋण प्रणाली; (iv) गैर-बैंकिंग संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक को विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; (v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण के लिए प्रावधान; (vi) किसी भी उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड और अन्य कानूनों पर अध्याय III-B को प्रबल प्रभाव प्रदान करना।

6.6 1963 के अधिनियम 55 के तहत अध्याय 3-बी की शुरूआत के बाद, तीन संशोधन किए गए जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, [2022] 7 एस. सी. आर.

1974 के अधिनियम 51,1976 के अधिनियम 21 और 1984 के अधिनियम 1 के तहत अध्याय 3-बी में निहित प्रावधानों के लिए।

6.7 1963 के अधिनियम 55 के तहत अध्याय 3-बी को शामिल करने के बाद, गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के कामकाज की समीक्षा की गई

इसके बाद, इस मुद्दे पर तीन अन्य समितियों द्वारा विचार किया गया, अर्थात् (i) मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए समिति। (चक्रवर्ती समिति-1985); (ii) मुद्रा बाजार पर कार्य समूह (वाघुल समिति-1987); और (iii) वित्तीय प्रणाली पर समिति (नरसिम्हम समिति-1991)।

6.8 उन रिपोर्टों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण 1991 में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। का उदारीकरण

अर्थव्यवस्था में गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्र का विकास देखा गया

भारत में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की विविध श्रृंखला की पेशकश करने वाले एन. बी. एफ. सी. की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के लिए नियामक ढांचे को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। एनबीएफसी की भूमिका का गहन अध्ययन करने और इन कंपनियों के स्वस्थ विकास और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियामक और नियंत्रण उपायों का सुझाव देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1992 में डॉ. ए. सी. शाह की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया। सरल शब्दों में कार्य समूह के संदर्भ की शर्तें 2 थीं:

गैर-बैंकिंग की विभिन्न श्रेणियों की भूमिका की समीक्षा करना

((i)

वित्तीय मध्यस्थः

((ख)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की समीक्षा करना; गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 1977, विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977; अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987; राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 1989;

2 वित्तीय कंपनियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट सी. आर. 483 सितंबर, 1992 में प्रस्तुत की गई एन. ई. डी. यू. एम. पी. आई. एल. आई. सी. लिमिटेड v.

का राज्य

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

गैर-बैंकिंग के संचालन के तरीकों की जांच करना।

(iii)

वित्तीय मध्यस्थ और उनके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना और विशेष रूप से, उनके प्रवेश, विकास और निकास के लिए पात्रता मानदंड, उनकी व्यवहार्यता, पूंजी पर्याप्तता, तरलता अनुपात, ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण

एकाग्रता अनुपात, प्रकटीकरण आवश्यकताएँ और अन्य

विवेकपूर्ण मानदंड;

(iv) ऐसे संस्थानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की पर्याप्तता पर विचार करना और आगे के उपायों का सुझाव देना।

उन्हें मजबूत करना;

जमाकर्ताओं को सुरक्षा की पर्याप्तता की जांच करना '

(v)

धन; और

(vi) किसी अन्य संबंधित मामले पर सिफारिश करना।

6.9 डॉ. ए. सी. शाह की अध्यक्षता वाले कार्य समूह ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 1981 में एन. बी. एफ. सी. की कुल संख्या 7063 थी।

1990 तक यह बढ़कर 24,009 हो गया और देश में एन. बी. एफ. सी. की विभिन्न श्रेणियां थीं जैसे कि ऋण कंपनियां, निवेश कंपनियां, किराया-खरीद वित्त कंपनियां, उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनियां, पारस्परिक लाभ वित्त कंपनियां, विविध वित्त कंपनियां। कंपनियाँ, विविध गैर-बैंकिंग कंपनियाँ, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ और आवास वित्त कंपनियाँ। इस कार्य समूह ने वास्तव में अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 6.72 में सिफारिश की थी कि हालांकि एन. बी. एफ. सी. को आर. बी. आई. अधिनियम के अध्याय 3-बी और एन. एच. बी. अधिनियम के अध्याय 5 के तहत जारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जा रहा है, लेकिन एक अलग कानून बनाना बेहतर होगा। कार्य समूह ने इस हद तक सिफारिश की कि

कि ऐसा विधान संविधान की अनुसूची IX के तहत रखा जाना चाहिए।

धारा 45-I में परिभाषा प्रावधान और कुछ नए प्रावधान जैसे धारा 45-आई. ए., 45-आई. बी., 45-आई. सी., 45-जे. ए., 45-एम. बी., 45-एम. सी. आदि को शामिल करना। 1997 के अधिनियम 23 द्वारा अध्याय III-B में किए गए संशोधन के बाद, यह अध्याय जहाँ तक एन. बी. एफ. सी. का

संबंध है, यह एक पूर्ण संहिता बन गई है। इसे अध्याय III-B के विभिन्न प्रावधानों से देखा जा सकता है, जिसे सरल संदर्भ के लिए एक तालिका के रूप में संक्षेपित किया गया हैः

आवश्यकता

प्रावधान

((i)

एन. बी. एफ. सी. के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य

धारा 45-आई ए

किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करना या उसे जारी रखना।

(iii) उप-धारा (4) में निर्धारित कुछ मापदंडों के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।
(i) एन. बी. एफ. सी. को गैर-भारित स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है,

धारा 45-आईबी

ऐसी राशि जो 5 प्रतिशत से कम या उससे अधिक न हो।

आर. बी. आई. द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
((ii) प्रत्येक एन. बी. एफ. सी. को आर. बी. आई. को विवरणी देनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन।
((iii) इसमें कमी होने पर दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है।

निवेश।
(i) प्रत्येक एन. बी. एफ. सी. को एक आरक्षित निधि बनानी चाहिए और उसे हस्तांतरित करना चाहिए।

धारा 45-आईसी

उक्त निधि हर साल अपने शुद्ध लाभ के 20 प्रतिशत से कम नहीं होती है। रिजर्व फंड का कोई भी हिस्सा एन. बी. एफ. सी. द्वारा आर. बी. आई. द्वारा निर्धारित उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं किया जाएगा।

(i) भारतीय रिजर्व बैंक एन. बी. एफ. सी. के निदेशक को पद से हटाने का हकदार है।

धारा 45-आईडी

यदि यह संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना या किसी एन. बी. एफ. सी. के मामलों को इस तरह से संचालित होने से रोकना आवश्यक है

जमाकर्ताओं या लेनदारों के हित या वित्तीय स्थिरता या ऐसी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए हानिकारक।

(i) आर. बी. आई. के पास बोर्ड के अधिक्रमण की शक्ति होगी।

धारा 45-आई. ई.

जनहित आदि में एन. बी. एफ. सी. के निदेशक।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इस मुद्दे को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी -

धारा 45-जे

धन जमा करने के लिए प्रॉस्पेक्टस या विज्ञापन।

((i) जनहित में या वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए।

धारा-45 जेए

देश के लाभ के लिए या किसी भी एन. बी. एफ. सी. के मामलों को जमाकर्ताओं के हित के लिए प्रतिकूल या एन. बी. एफ. सी. के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक नीति निर्धारित कर सकता है और निर्देश दे सकता है। (i) आर. बी. आई. प्रत्येक गैर-बैंकिंग संस्थान से ऐसा प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

धारा 45-के

एन. बी. एफ. सी. द्वारा प्राप्त जमा से संबंधित या उससे संबंधित जानकारी या विवरण के विवरण।

(i) आर. बी. आई. के पास वित्तीय संस्थानों से अनुरोध करने की शक्ति होगी -

धारा 45-एल

ऐसे वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय से संबंधित ऐसे विवरण, जानकारी या विवरण प्रस्तुत करना और ऐसे निर्देश देना।

(i) प्रत्येक एन. बी. एफ. सी. का कर्तव्य होगा कि वह विवरण प्रस्तुत करे,

धारा 45-एम

अपेक्षित जानकारी या विवरण और उनका पालन करने के लिए

आर. बी. आई. द्वारा जारी निर्देश। आर. बी. आई. के पास लेखा परीक्षकों को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी

धारा 45-एमए

बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते, लेखा पुस्तकों में देनदारियों का खुलासा या किसी अन्य से संबंधित एनबीएफसी

बात है।

आर. बी. आई. उन लेखा परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो इसका पालन करने में विफल रहते हैं।

धारा 45-एमएए

किसी भी दिशा में।

आर. बी. आई. विलय के लिए योजनाएं बना सकता है -

धारा 45-एम. बी. ए.

एन. बी. एफ. सी. या एन. बी. एफ. सी. आदि का पुनर्निर्माण, यदि आर. बी. आई. लेखा पुस्तकों के निरीक्षण पर संतुष्ट है कि यह जनहित में है।

या ऐसा करने के लिए वित्तीय स्थिरता के हित में।

आर. बी. आई. को बंद करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

धारा 45-एमसी

एन. बी. एफ. सी., कुछ परिस्थितियों में।

निरीक्षण की शक्ति।

धारा 45-एन

आर. बी. आई. किसी भी समय एन. बी. एफ. सी. को अपनी वित्तीय व्यवस्था में शामिल करने का निर्देश दे सकता है।

धारा 45-एनएए

एन. बी. एफ. सी. की किसी समूह कंपनी के व्यवसाय या मामलों से संबंधित विवरण, ऐसे विवरण और जानकारी।

आर. बी. आई. एन. बी. एफ. सी. को इनमें से किसी भी या सभी के आवेदन से छूट दे सकता है।

धारा 45-एनसी

अध्याय III-B के प्रावधान

अधिनियम के तहत पंजीकरण के साथ जन्म लेना भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है। गर्भ से लेकर मकबरे तक एन. बी. एफ. सी. के पूरे जीवन को भी आर. बी. आई. द्वारा विनियमित और निगरानी की जाती है। 6.12 इस मोड़ पर अध्याय III-B के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को निकालना आदर्श हो सकता है।

6.13 एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को धारा 45-I के खंड (च) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 45-1 .

(च) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का अर्थ है -

एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है;

((i)

एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है और

((ख)

जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना या किसी भी तरीके से ऋण देना है;

(iii)

संस्थान, जैसा कि बैंक केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, निर्दिष्ट करें "।

6.14 धारा 45-जे. ए. जो आर. बी. आई. को निर्धारित करने की शक्ति देता है।

लाइसेंस और जारी करने के निर्देश इस प्रकार हैं:

दिशा निर्देश। — (1) यदि बैंक संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में या अपने लाभ के लिए देश की वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए या किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मामलों को रोकने के लिए

के हित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किया जा रहा है जमाकर्ताओं या गैर-जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से

बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन है, वह नीति निर्धारित कर सकती है और सभी या किसी को भी निर्देश दे सकती है

आय मान्यता से संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां,

लेखांकन मानक, खराब के लिए उचित प्रावधान करना और

संदिग्ध ऋण, परिसंपत्तियों के लिए जोखिम भार के आधार पर पूंजी पर्याप्तता और ऑफ बैलेंस शीट वस्तुओं के लिए क्रेडिट रूपांतरण कारक और

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या गैर-बैंकिंग कंपनियों के एक वर्ग द्वारा धन की तैनाती से संबंधित

आम तौर पर वित्तीय कंपनियाँ, जैसा भी मामला हो, और ऐसी गैर -

बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस प्रकार निर्धारित नीति और इस प्रकार जारी किए गए निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होंगी। (2) उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक गैर-बैंकिंग को निर्देश दे सकता है।

कंपनियों या विशेष रूप से किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए

डम्पीली फाइनैंस कंपनी लिमिटेड v. का राज्य

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

वह उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम या अन्य निधि आधारित हो।

(अ)

या गैर-निधि आधारित आवास नहीं किया जा सकता है;

और

(ख)

अग्रिम या अन्य वित्तीय राशि की अधिकतम राशि

शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में समायोजन या निवेश जो गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की चुकता पूंजी, भंडार और जमाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

कंपनी और अन्य प्रासंगिक विचार, उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा किसी को भी किए जा सकते हैं

व्यक्ति या कंपनी या कंपनियों के समूह के लिए।

6.15 धारा 45-के, जो भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना एकत्र करने का अधिकार देती है।

इस प्रकार है:

" 45 गैर से जानकारी एकत्र करने के लिए बैंक का K.Power

जमा के बारे में और निर्देश देने के लिए बैंकिंग संस्थान।

(1) बैंक किसी भी समय निर्देश दे सकता है कि प्रत्येक गैर-बैंकिंग

संस्था इस प्रकार के अंतराल पर बैंक को प्रस्तुत करेगी।

और ऐसे समय के भीतर, ऐसे कथन जानकारी या विवरण

गैर-बैंकिंग द्वारा प्राप्त जमाओं से संबंधित या उनसे संबंधित

संस्था, जैसा कि बैंक द्वारा सामान्य या विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है आदेश दें।

(2) उप-धारा (1) के तहत बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण, जानकारी या विवरण, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित हो सकते हैं, अर्थात् जमा की राशि,

जिन उद्देश्यों और अवधियों के लिए, और ब्याज की दरें और

अन्य नियम और शर्तें जिन पर वे प्राप्त की जाती हैं।

(3) बैंक, यदि वह सार्वजनिक रूप से आवश्यक समझता है

ऐसा करने के लिए ब्याज, गैर-बैंकिंग संस्थानों को भी निर्देश दें आम तौर पर या किसी गैर-बैंकिंग संस्थान या गैर-बैंकिंग समूह के लिए

विशेष रूप से संस्थान, या से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जमाओं की प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ, ब्याज दरों सहित

ऐसी जमाओं पर देय, और वे अवधियाँ जिनके लिए जमा कर सकते हैं

प्राप्त किया जाता है।

(4) यदि कोई गैर-बैंकिंग संस्थान किसी का पालन करने में विफल रहता है

उप-धारा (3) के तहत बैंक द्वारा दिया गया निर्देश, उस गैर-बैंकिंग संस्थान द्वारा जमा की स्वीकृति को प्रतिबंधित करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 [* * *]

(6) जमा प्राप्त करने वाला प्रत्येक गैर-बैंकिंग संस्थान, यदि -

अतः बैंक द्वारा अपेक्षित और ऐसे समय के भीतर जब बैंक

विनिर्दिष्ट करें कि गैर-बैंकिंग संस्थान की कीमत पर उसके वार्षिक तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते या अन्य वार्षिक खातों की एक प्रति प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे गैर-बैंकिंग संस्थान रखता है, वर्ष के अंतिम दिन, जिससे खाते संबंधित हैं, उस राशि से अधिक जमा, जो गैर-बैंकिंग संस्थान द्वारा निर्दिष्ट की जाए, भेजी जाए।

बैंक "।

6.16 धारा 45-एल आर. बी. आई. को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है और

दिशा निर्देश। वह इस प्रकार हैः

" 45 एल. वित्तीय से जानकारी के लिए कॉल करने के लिए बैंक की शक्ति

संस्थान और निर्देश देना। (1) यदि बैंक संतुष्ट है

इसे ऋण प्रणाली को विनियमित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से

अपने लाभ के लिए ऐसा करना आवश्यक है, यह हो सकता है

(क) सामान्य रूप से या किसी भी वित्तीय संस्थान की आवश्यकता होती है।

वित्तीय संस्थानों या वित्तीय संस्थानों का समूह

विशेष रूप से, बैंक को ऐसे रूप में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे समय के भीतर, ऐसे विवरण प्रस्तुत करना,

सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बैंक द्वारा; ऐसी संस्थाओं को या तो आम तौर पर या ऐसे किसी भी

(ख)

विशेष रूप से संस्था, उनके द्वारा या वित्तीय संस्थानों के रूप में उसके द्वारा व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्देश या

संस्था।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी वित्तीय संस्थान द्वारा दी जाने वाली जानकारी या विवरण निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित हो सकते हैं, अर्थात्, चुकता पूंजी, भंडार या अन्य देनदारियां, निवेश चाहे

सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्यथा, वे व्यक्ति जिन्हें, और

जिन उद्देश्यों और अवधियों के लिए वित्त प्रदान किया जाता है और

ब्याज दरों सहित नियम और शर्तें, जिन पर यह प्रदान किया जाता है।

(3) उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत किसी भी वित्तीय संस्थान को निर्देश जारी करने में, बैंक को उन शर्तों को ध्यान में रखना होगा जिनमें, और जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गई है, उसकी वैधानिक जिम्मेदारियां, यदि कोई हों, और

इस तरह के वित्तीय संस्थान के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है

मुद्रा और पूंजी बाजारों में रुझान "।

6.17 अध्याय III-B में निहित सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक धारा 45-Q है। वह इस प्रकार हैः

" 45 क्यू. अध्याय III ख अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए। प्रावधान

इस अध्याय का प्रभाव कुछ भी होने के बावजूद होगा।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में इसके साथ असंगत है।

6.18 इस तथ्य पर विवाद करना बहुत लंबा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश वैधानिक हैं और सभी एन. बी. एफ. सी. पर बाध्यकारी हैं। यह है।

इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम दोनों के तहत जारी किए गए निर्देशों के संबंध में।

6.19 एक बार जब यह पाया जाता है कि आर. बी. आई. अधिनियम का अध्याय III-बी, आर. बी. आई. को एन. बी. एफ. सी. के कामकाज की देखरेख करने के लिए एक पर्यवेक्षी भूमिका प्रदान करता है, तो

उनके जन्म के समय से (पंजीकरण के माध्यम से) उनकी व्यावसायिक मृत्यु के समय तक (समापन के माध्यम से), एन. बी. एफ. सी. की सभी गतिविधियाँ स्वचालित रूप से आर. बी. आई. की जांच के दायरे में आती हैं। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, हित का ध्यान रखने का एकल पहलू

राज्य अधिनियमों द्वारा प्राप्त किए जाने की इच्छा रखने वाले उधारकर्ताओं को अध्याय III-B के प्रावधानों में शामिल किया जाता है।

आर. बी. आई. द्वारा जारी नियम/मुख्य परिपत्र/निर्देश

समय-समय पर

6.20 अध्याय III-B के प्रावधानों के अलावा, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियम, निर्देश और प्रमुख परिपत्र भी,

एन. बी. एफ. सी. को बांधें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1977 से जारी किए गए विनियमों/निर्देशों या प्रमुख परिपत्रों की एक लंबी सूची है, जो दर्शाती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में 1997 के संशोधन से पहले भी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी पर किसी प्रकार का नियंत्रण प्रयोग किया गया था। 1997 के संशोधन के बाद, ऋण सहित एन. बी. एफ. सी. के व्यवसाय का हर पहलू, आर. बी. आई. द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर/निर्देशों के दायरे में आता है। दूसरे शब्दों में, एकमात्र क्षेत्र जिस पर [2022] 7 एस. सी. आर. का कब्जा है।

राज्य अधिनियम प्रमुख परिपत्रों/निर्देशों द्वारा विनियोजित किए जाते हैं। यह प्रदर्शित करने के लिए कि ऋण अनुदान का विषय भी इन प्रमुख परिपत्रों/निर्देशों में शामिल है, हम नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक परिपत्र/निर्देश प्रस्तुत करते हैं।

परिपत्र/दिशाओं का शीर्षक	प्रावधान के तहत	सामान्य रूप से विषय वस्तु और प्रावधान
		ऋण और ब्याज की दर से निपटना
	जिसे जारी किया गया था।	
गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा)	धारा 45 जेए	ऋण सहित सामान्य नीति
कंपनियों को स्वीकार करना या धारण करना)		खंड 7: मांग/कॉल पर नीति की आवश्यकता
विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक)		कर्ज
दिशा निर्देश 2007		बोर्ड इस संबंध में नीति बनाएगा
		पुनर्भुगतान या कॉल के लिए कट ऑफ तिथि
		ऊपर।
		ब्याज की दर
		● प्रभाव के लिए लिखित कारण

मोहलत और ब्याज की

मंजूरी

मुफ्त ऋण

धारा 21 और 35 ए के दिशानिर्देशों में संशोधन

मानक परिसंपत्तियों का

प्रतिभूतिकरण
खंड 1.2: न्यूनतम धारण अवधि

प्रतिभूतिकरण लेनदेन

बैंकिंग का

आरक्षित विनियमन अधिनियम, 1949 में निगमित;

ऋणों का

प्रतिभूतिकरण तभी किया जाएगा जब

बैंक ऑफ इंडिया (अध्याय III बी का प्रतिभूतिकरण)

न्यूनतम धारण अवधि

मानक परिसंपत्तियाँ) निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक

खंड 1.3:

न्यूनतम

प्रतिधारण

अधिनियम, 1934

2021

आवश्यकता (एम. आर. आर.)

एनबीएफसी की

हिस्सेदारी बनी रहेगी
प्रतिभूतिकृत परिसंपत्ति का निष्पादन

उचित परिश्रम

सुनिश्चित करें

स्वीकृत ऋण

सामान्य निष्पक्ष व्यवहार

दिशानिर्देश जिनमें शामिल हैं -

खंड 2 ए (ii): ऋण मूल्यांकन और शर्तें
और शर्तेः

ऋण शामिल करने के लिए मंजूरी पत्र
राशि और वार्षिक दर

एनबीएफसी दंड का उल्लेख करेंगे।
देर से लिया गया ब्याज

ऋण का भुगतान बोल्ड में करें
समझौता।

खंड 2 ए (iii): ऋणों का वितरण

नियम और शर्तों में परिवर्तन सहित

एनबीएफसी किसी भी बदलाव की सूचना देगा
ऋण सहित

संवितरण अनुसूची, की दर

एन. बी. एफ. सी. में बदलाव होना चाहिए
केवल संभावित रूप से ब्याज की दर।

खंड 2 ए (viii): अत्यधिकता का नियमन
एन. बी. एफ. सी. द्वारा प्रभारित ब्याज

प्रत्येक एन. बी. एफ. सी. का बोर्ड एक
ब्याज दर मॉडल

निधियों की खाता लागत, मार्जिन, जोखिम

प्रीमियम आदि।

उधारकर्ता और स्पष्ट रूप से

संचारित
मंजूरी पत्र में।

एन. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड v. का राज्य

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी धारा 45 जेए, 45 एल अध्याय IV: विवेकपूर्ण नियम

गैर-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण और भारतीय रिजर्व बैंक का 45 एम

खंड 11: नीति की आवश्यकता

गैर-जमा लेने वाली कंपनी और अधिनियम

माँग/कॉल ऋणः

जमा लेने वाली कंपनी (आरक्षित)

निदेशक मंडल बनाएगा

बैंक) निर्देश, 2016

लागू एनबीएफसी के

लिए नीति जो
निर्धारित कीजिएः

और

1. पुनर्भुगतान के लिए कट

ऑफ तिथि

माँग या कॉल ऋण

होगा

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

लिखित में कारणों के

साथ मांग की गई यदि

व्यवस्थित रूप से

महत्वपूर्ण गैर

कट-ऑफ तिथि एक से

आगे तक फैली हुई है

जमा लेने वाली कंपनी और

की तारीख से 1 वर्ष की

अवधि

जमा लेने वाली कंपनी (आरक्षित)

बैंक) निर्देश, 2016

मंजूरी।

2. ब्याज की दर जो होगी

स्थगन दिया जाता है या

कोई ब्याज नहीं
निर्धारित किया गया है।

अध्याय 5: के लिए निष्पक्ष

व्यवहार संहिता

लागू एनबीएफसी

खंड 28: ऋण और उनके लिए

आवेदन
प्रसंस्करण

उधारकर्ता के लिए

संचार

स्थानीय भाषा/भाषा में

आवश्यक जानकारी जो

प्रभावित करती है
ऋणी का ब्याज और

आवश्यक दस्तावेजों को

इंगित करें

जिसके भीतर आवेदन

होंगे
निकाल दिया।

खंड 29: ऋण मूल्यांकन और

नियम/शर्तें

वार्षिक ब्याज दर सहित

& आवेदन की विधि आदि

ऋण की प्रति प्रस्तुत

नहीं करना
समझौता अनुचित व्यवहार है।

खंड 36: अत्यधिकता का नियमन

लागू एनबीएफसी द्वारा लिया गया ब्याज

प्रीमियम और निर्धारित दर
ऋण के लिए लिया जाने वाला ब्याज और

अग्रिम आदि।

. स्पष्ट कारण दिए जाने चाहिए

अलग-अलग ब्याज दरें

उधारकर्ताओं की श्रेणियाँ।

खंड 37: अत्यधिक होने की शिकायतें

लागू एन. बी. एफ. सी. द्वारा लिया जाने वाला ब्याज

एन. बी. एफ. सी. बोर्ड उचित व्यवस्था बनाएगा।

आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएँ

में

ब्याज दरों और प्रसंस्करण का निर्धारण और

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-धारा 45 एल, ऋण पर अत्यधिक ब्याज की धारा विनियमन

आवास वित्त कंपनी आर. बी. आई. अधिनियम का 45 एमए

(खंड 80 और 81)

i) किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर

दिशा निर्देश 2021

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध

वार्षिक दर।

(ii) बोर्ड ब्याज दर मॉडल अपनाएगा।
निधियों की लागत, मार्जिन, जोखिम का लेखा

प्रीमियम आदि

iii) कंपनी को आंतरिक तंत्र स्थापित करने के लिए
ब्याज की दर तय करने की निगरानी करें। अध्याय

' निष्पक्ष प्रथाओं' से संबंधित

होगा

ऋण पर ब्याज पर लागू होता है।
ऋण का मूल्य निर्धारण (खंड 6):

आर. बी. आई. (धारा 21, अनुभाग के लिए नियामक ढांचा) सूक्ष्म वित्त ऋण) के निर्देश 35 ए और धारा 56

i) अच्छी तरह से प्रलेखित नीति

2022

बैंकिंग ब्याज दर मॉडल जैसे कारक

द.

विनियमन अधिनियम, 1949;

जोखिम प्रीमियम, सीमा, एक

सीमा लागू

लघु वित्त ऋण आदि के लिए

अध्याय IIB

भारतीय रिजर्व बैंक

(ii) ब्याज की दर सूदखोर न

हो। यह

अधिनियम, 1934

आर. बी. आई. द्वारा जांच की

जाएगी।

(iii) ब्याज दर में परिवर्तन की

जानकारी दी जानी चाहिए।

उधारकर्ता को पहले से ही

नियम 8 किसी भी व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार देता है।

एन. बी. एफ. सी. के लिए लोकपाल योजना-धारा 45 एल

लोकपाल के पास शिकायत

2018

नियम में उल्लिखित आधार।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया है

-

नियम 9 में दिया गया है।

पक्षों के बीच समझौते द्वारा

शिकायत।

नियम 12 विकल्प प्रदान करता है जहाँ यदि

शिकायत का निपटारा समझौते

से नहीं किया जाता है,

लोकपाल एक पुरस्कार पारित

कर सकता है।

15 दिनों के भीतर भारतीय

रिज़र्व बैंक को उसी का

पुरस्कार अंतिम होता जा रहा है

द्वारा जारी किए गए नियमों, प्रमुख परिपत्रों और निर्देशों के बाद से

आर. बी. आई. एन. बी. एफ. सी. पर बाध्यकारी है, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एन. बी. एफ. सी. के सभी पहलुओं को आर. बी. आई. द्वारा विनियमित किया जाता है और कुछ भी अछूता नहीं रहता है। हालाँकि, एन. बी. एफ. सी. की कुछ श्रेणियाँ हैं, जिन्हें अधिनियम की धारा 45-एन. सी. द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से स्वयं आर. बी. आई. द्वारा छूट दी जा सकती है। आइए अब हम उन पर भी ध्यान दें।

एनबीएफसी को आर. बी. आई. अधिनियम से छूट

6.21 आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 45-एन. सी. आर. बी. आई. को शक्ति प्रदान करती है।

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा करना कि अध्याय 3-बी के कोई भी या सभी प्रावधान किसी एन. बी. एफ. सी. या एन. बी. एफ. सी. के किसी भी वर्ग पर, या तो आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों के अधीन लागू नहीं होंगे। शक्ति के प्रयोग में इस तरह

आर. बी. आई. समय-समय पर प्रमुख निर्देश जारी करता रहा है। 25.08.2016 पर जारी एक मुख्य निर्देश, जिसे 1 अप्रैल, 2022 को अद्यतन किया गया है, कुछ एन. बी. एफ. सी. की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें कुछ एन. ई. डी. यू. एम. पी. आई. एल. आई. एफ. एन. ए. एन. सी. लिमिटेड के आवेदन से छूट दी गई है।

का राज्य

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अध्याय 3-ख के विनिर्दिष्ट प्रावधान। यही कारण है कि छूट प्राप्त कंपनियों में से कुछ को अन्य नियामक निकायों द्वारा विनियमित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आवास वित्त संस्थानों को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है; मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियों और इसी तरह की कंपनियों को एस. ई. बी. आई. द्वारा विनियमित किया जाता है; निधि कंपनियों और पारस्परिक लाभ कंपनियों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है; चिट फंड कंपनियों को राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है; और बीमा कंपनियों को आई. आर. डी. ए. द्वारा विनियमित किया जाता है। हम चिंतित नहीं हैं यह मामला छूट प्राप्त कंपनियों के साथ है, क्योंकि विवाद केवल आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत एन. बी. एफ. सी. तक सीमित है।

क्या अध्याय III-B एक पूर्ण कोड है?

आर. बी. आई. अधिनियम में पाए जाने वाले कुछ निर्देशों के साथ-साथ आर. बी. आई. द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों का अनुपालन। आर. बी. आई. के पास एन. बी. एफ. सी. के निदेशक मंडल को हटाने की शक्ति है और उसके पास यह भी शक्ति है कि वह एन. बी. एफ. सी. को बंद कर दें। इस प्रकार आर. बी. आई. द्वारा एन. बी. एफ. सी. की देखरेख और विनियमन जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक है। यदि एक वैधानिक अधिनियम जो इस प्रकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है, अपने आप में एक पूर्ण संहिता नहीं है, तो हम नहीं जानते कि एक पूर्ण संहिता और क्या हो सकती है।

7.2 केरल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा करता है।

एन. बी. एफ. सी. द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को नियंत्रित नहीं करता है और इसलिए, एक राज्य अधिनियम जो इस पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, अर्थात् ब्याज की दर को प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, एक वैधानिक अधिनियम जो ब्याज की दर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से नहीं निपटता है

ऋणों पर प्रभार्य, अपने आप में एक पूर्ण कोड नहीं कहा जा सकता है। रिलायंस को इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दीप चंद बनाम यू. पी. 1 राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया था। 7.3 लेकिन हम सहमत नहीं हैं। एन. बी. एफ. सी. जो देश की वित्तीय स्थिति में योगदान देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिनके संचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करने के घोषित उद्देश्य के साथ नियंत्रित किया जाता है, उनकी जीवन रेखा के रूप में, अग्रिम ऋणों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय होती है। इसलिए, यह कहना कि महत्वपूर्ण हित के ऐसे मामले में आर. बी. आई. की कोई भूमिका नहीं है, आर. बी. आई. में निहित वैधानिक नियंत्रण की जड़ पर प्रहार करेगा।

7.4 यह सच हो सकता है कि कई बार भारतीय रिज़र्व बैंक एनबीएफसी द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यह.

इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कदम रखने की कोई शक्ति नहीं है। धारा 45-जे. ए. के तहत उपलब्ध नीति निर्धारित करने और निर्देश जारी करने की शक्ति का उपयोग हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा सकता है।

7.5 हालाँकि, केरल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ

धारा 45-नीति निर्धारित करने और निर्देश देने के लिए जे. ए., आय मान्यता, लेखा मानकों, खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए उचित प्रावधान, परिसंपत्तियों और ऋण के लिए जोखिम भार के आधार पर पूंजी पर्याप्तता से संबंधित शब्दों द्वारा सीमित है।

ऑफ बैलेंस शीट मदों के लिए रूपांतरण कारक और धन की तैनाती से भी संबंधित हैं।

7.6 लेकिन हमें नहीं लगता कि धारा 45-जे. ए. (1) में आने वाले "संबंधित" शब्दों को भारतीय रिजर्व बैंक की देने की शक्ति को सीमित करने के लिए लिया जा सकता है।

निर्देश, केवल शब्दों के बाद उल्लिखित मामलों के संबंध में

" "से संबंधित। "संबंधित" शब्दों के बाद उल्लिखित वस्तुओं को केवल उदाहरणात्मक माना जा सकता है और संपूर्ण नहीं। यही कारण है कि धारा 45-जे. ए. द्वारा प्रदत्त शक्ति नीति निर्धारित करने और निर्देश जारी करने दोनों के लिए है। 7.7 इसके अलावा, धारा 45-जे. ए. की उप-धारा (1) केवल सामान्य शक्तियों से संबंधित है। यह "बिना" शब्दों से स्पष्ट होता है।

धारा 45-जे. ए. की उप-धारा (2) में दिखाई देने वाली उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव।

4 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648 एन. ई. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड v. राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

7.8 किसी भी मामले में, धारा 45 एल (1) (बी) आर. बी. आई. को एन. बी. एफ. सी. को व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है।

उन्हें "। इसलिए, यह कहना कि इस तरह के महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है, सही नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि आर. बी. आई. आम तौर पर छोड़ देता है

बिना किसी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ब्याज की दर निर्धारित करना बाजार की ताकतों के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिसका केरल राज्य द्वारा लाभ उठाया जा सके और एनबीएफसी द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर अधिकतम ब्याज दर निर्धारित की जा सके।

7.9 दीप चंद (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने असंगति या तिरस्कार के तीन महत्वपूर्ण परीक्षणों को दोहराया, अर्थात्:

((i) क्या दोनों प्रावधानों के बीच सीधा टकराव है; (ii) क्या संसद ने इन प्रावधानों के संबंध में एक विस्तृत संहिता निर्धारित करने का इरादा किया है।

राज्य विधानमंडल के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाली विषय वस्तु; और (iii) क्या संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का अधिकार है। एक ही क्षेत्र। इसलिए, राज्य के मामले का समर्थन करने से अधिक, दीप चंद (उपरोक्त) वास्तव में एनबीएफसी के मामले का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमने पाया है कि अध्याय III-B अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।

ग्रहण का सिद्धांत, संघर्ष और तिरस्कार

8. जैसा कि दीप चंद (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा संकेत दिया गया है, एक कानून बनाए जाने पर वैध हो सकता है, लेकिन उस पर एक छाया डाली जा सकती है

संवैधानिक असंगति का पर्यवेक्षण या मौजूदा वैधानिक असंगति का पर्यवेक्षण। यह मानते हुए कि केरल अधिनियम इसमें वैध था

जब एन. बी. एफ. सी. को आवेदन किया गया था, इस आधार पर कि धन उधार देने का व्यवसाय सूची II की प्रविष्टि 30 तक पता लगाने योग्य है, तो इसे संसदीय अधिनियम के लिए रास्ता देना होगा। जिस क्षण संसद ने आर. बी. आई. अधिनियम के अध्याय 3-बी में कुछ प्रावधानों को शामिल करके एन. बी. एफ. सी. के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करने के लिए कदम उठाया, उसी समय से आर. बी. आई. अधिनियम के तहत पंजीकृत और आर. बी. आई. द्वारा विनियमित एन. बी. एफ. सी. पर केरल अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता (यह मानते हुए भी कि यह लागू है) पर एक छाया पड़ जाएगी। 8.1 इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी.

आई. बैंक और आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम आई. सी. आई. सी. आई.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और महाराष्ट्र राहत

उपक्रम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1958। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 107 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुच्छेद 254 पर ध्यान देने के बाद

संविधान, इस न्यायालय ने अन्य क्षेत्राधिकारों के संविधानों का विश्लेषण किया

5 (2018) 1 एससीसी 407 [2022] 7 एस. सी. आर.

ई कानूनों की असंगतता का सवाल और प्रस्तावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया

डब्ल्यू इस प्रकार हैः

प्रस्तावः 51.1 . अनुच्छेद 254 के तहत विरोध केवल तभी उत्पन्न होता है जब संसदीय (या मौजूदा कानून) और राज्य कानून दोनों भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची III के लिए संदर्भित होते हैं।

51.2 . यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संसद (या मौजूदा)

विशेष क़ानून या उसके हिस्से को दूसरे को रास्ता देना होगा। 51.3 . सवाल यह है कि विचाराधीन कानूनों का विषय क्या है और यह नहीं कि सूची III में कौन सी प्रविष्टि प्रतिस्पर्धी क़ानूनों का पता लगाने योग्य है, क्योंकि सूची III में प्रविष्टियां केवल कानून के क्षेत्र हैं; साथ ही, अनुच्छेद 254 की भाषा न केवल एक संपूर्ण क़ानून की बल्कि उसके "किसी भी प्रावधान" की भी निंदा करती है।

51.4 . चूँकि आम तौर पर कानूनों की वैधता के पक्ष में एक धारणा है, इसलिए यह दिखाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक क़ानून दूसरे के लिए प्रतिकूल है, इसकी वैधता पर हमला करने वाले पक्ष पर होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सुलह के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए

प्रतिस्पर्धी क़ानूनों को लागू करें और उन दोनों का अर्थ लगाएं ताकि तिरस्कार से बचा जा सके-यह देखने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या दोनों ऐसा नहीं करते हैं

वास्तव में अलग-अलग विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।

51.5 . वास्तव में घृणा मौजूद होनी चाहिए और केवल एक पर निर्भर नहीं होनी चाहिए

संभावना है।

51.6 . घृणा इस अर्थ में प्रत्यक्ष हो सकती है कि वहाँ है

प्रतिस्पर्धी कानूनों की वास्तविक शर्तों में असंगति और इसलिए, प्रतिस्पर्धी कानूनों के दो या दो से अधिक प्रावधानों के बीच सीधा संघर्ष है। इस मायने में, विसंगति स्पष्ट और प्रत्यक्ष होनी चाहिए और ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि दोनों को लाया जा सके

अधिनियम या उसके कुछ भाग एक दूसरे के साथ सीधे टकराव में आते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां डम्पिली फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की अवज्ञा किए बिना उसका पालन करना असंभव है।

दूसरा। ऐसा तब होता है जब दो अधिनियम एक ही तथ्य पर लागू होने पर अलग-अलग कानूनी परिणाम देते हैं। 51.7. हालांकि कोई सीधा संघर्ष नहीं हो सकता है, एक राज्य कानून निष्क्रिय हो सकता है क्योंकि संसदीय कानून का उद्देश्य एक पूर्ण, संपूर्ण या अनन्य संहिता होना है। ऐसे मामले में, राज्य का कानून असंगत और अप्रिय है, भले ही दोनों कानूनों का पालन करना संभव है, क्योंकि जब तक राज्य का कानून उसी विषय के लिए संदर्भित है-किसी भी हद तक संसदीय कानून के रूप में, इसे छोड़ देना चाहिए। यह देखने का एक परीक्षण कि क्या संसदीय कानून के विषय का अतिक्रमण किया गया है, यह पता लगाना है कि क्या संसदीय क़ानून ने एक ऐसी योजना या योजना को अपनाया है जो राज्य के कानून को प्रभावी बनाने से बाधित और/या बाधित होगी। इसके बाद यह कहा जा सकता है कि राज्य का कानून संसदीय क़ानून में दरार डालता है। नकारात्मक रूप से कहें, जहाँ संसदीय

कानून पूर्ण या अयोग्य होने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन स्वयं अन्य कानूनों को प्रतिबंधित या अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देता है या मान्यता देता है इसमें किए गए सामान्य प्रावधानों को कोई प्रतिकूलता नहीं कहा जा सकता है।

51.10 . उपरोक्त का एकमात्र अपवाद तब होता है जब यह पाया जाता है कि राज्य का कोई विधान संसदीय विधान या किसी अन्य विधान के प्रतिकूल है। मौजूदा कानून यदि मामला अनुच्छेद 254 (2) और राष्ट्रपति [2022] 7 एस. सी. आर. के अंतर्गत आता है।

राज्य विधान के लिए सहमति प्राप्त की जाती है, जिस स्थिति में राज्य विधान संसदीय विधान या उस राज्य के भीतर किसी मौजूदा कानून पर हावी होता है। यहाँ फिर से, राज्य के कानून को किसी भी बाद के संसदीय कानून को रास्ता देना चाहिए जो जोड़ता है, संशोधन करता है, बदलता है।

या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त करता है।

अनुच्छेद 254 (2) परंतुक का प्रवर्तन। "

8.2 इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने ज़वेरभाई अमैदास बनाम बॉम्बे राज्य "; टीका रामजी बनाम यू. पी. राज्य 1, दीप चंद बनाम यू. पी. राज्य आदि से शुरू होने वाले लगभग सभी पहले के फैसलों पर विचार किया। संक्षेप में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार केवल तभी उत्पन्न होगा जब संसदीय कानून और राज्य कानून दोनों सूची-III के लिए संदर्भित हों।

8.3 एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आर. बी. आई. अधिनियम का पता केवल सूची-I में प्रविष्टियों के लिए लगाया जा सकता है और राज्य अधिनियमों का पता केवल सूची-II में प्रविष्टि के लिए लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 254 के तहत अस्वीकृति का सवाल नहीं उठता है, जैसा कि इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड में माना गया है। लेकिन इन मामलों में

इस प्रकार, अनुच्छेद 246 (1) पूरी तरह से लागू होगा। अनुच्छेद 246 (1) इस प्रकार हैः

" 246.विषय-संसद और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

राज्यों के विधानमंडलः -

(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को इनमें से किसी के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है -

सातवीं अनुसूची में सूची I में सूचीबद्ध मामले (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित)।

8.4 यूको बैंक और एक अन्य बनाम दीपक देबबर्मा और

प्रतिभूतिकरण अधिनियम का पता सूची-I की प्रविष्टि-45 से लगाया जा सकता है और त्रिपुरा अधिनियम का पता राज्य सूची की प्रविष्टि 18 और 45 से लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य और अन्य निर्णयों में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने माना कि प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 6 ए. आई. आर 1954 एस. सी. 752

1 आकाशवाणी 1956 एससी 676

8 (2017) 2 एस. सी. सी. 585

9 (2010) 3 एस. सी. सी. 571 एन. ई. डी. यू. एम. पी. एल. आई. वित्त कंपनी लिमिटेड v. राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

एक संसदीय विधान होना प्रमुख विधान है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 246 (1) में गैर-अबाधित खंड का उल्लेख किया।

8.5 कई बार इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 13 (1) के संदर्भ में पूर्व-संवैधानिक कानूनों के संबंध में ग्रहण के सिद्धांत को लागू किया है। लेकिन बाद के वर्षों में, इस सिद्धांत का उपयोग विभिन्न संदर्भों में भी किया जाने लगा। उदाहरण के लिए कैलाश सोनकर बनाम श्रीमती। माया देवी 1 0, इस न्यायालय ने ग्रहण के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति को ईसाई धर्म या अन्य धर्म में परिवर्तित किया जाता है, तो मूल जाति बनी रहती है। ग्रहण के तहत और जैसे ही उसके जीवन काल के दौरान वह मूल धर्म में फिर से परिवर्तित हो जाता है, ग्रहण गायब हो जाता है और जाति स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाती है।

क्या संघर्ष का तर्क एक चमत्कार है?

9. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि दोनों अधिनियमों के बीच संघर्ष के किसी भी क्षेत्र की ओर इशारा किए बिना एन. बी. एफ. सी. ऐसा नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 254 को लागू करें।

9.1 लेकिन उपरोक्त तर्क में कोई सार नहीं है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि सूची-I में एक प्रविष्टि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का पता लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 246 (1) लागू हो जाता है। किसी भी मामले में, संघर्ष के क्षेत्र भी हैं। केरल अधिनियम,

उदाहरण के लिए, धारा 8 (1) के तहत देनदार को साहूकार को देय धन को दीवानी अदालत में जमा करने का अधिकार देता है। धारा 8 (2) दीवानी न्यायालय को ऋण की पूर्ण या आंशिक संतुष्टि दर्ज करने वाले आदेश पारित करने का अधिकार देती है।

9.2 लेकिन सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 34 द्वारा हटा दिया गया है। सं. वाली अधिसूचना के आधार पर। धारा 2 (1) (एम) (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 फरवरी, 2020 को जारी किए गए S.O.856 (ई) में केंद्र सरकार ने ऐसे एनबीएफसी को निर्दिष्ट किया है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1 (एफ) में परिभाषित किया गया है, जिनकी परिसंपत्तियां हैं।

एक सौ करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के पचास लाख रुपये और उससे अधिक के सुरक्षित ऋणों में प्रतिभूति ब्याज लागू करने के हकदार होंगे। यह अधिसूचना पहले की अधिसूचनाओं के स्थान पर जारी की गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कुछ एन. बी. एफ. सी. दीवानी अदालतों के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के हकदार हैं और उधारकर्ता का उपाय केवल ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष है। यह संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसे आसानी से इंगित किया जा सकता है। 10 (1984) 2 एससीसी 91 [2022] 7 एस. सी. आर.

9.3 हमने उपरोक्त उदाहरण को केवल एक नमूने के रूप में लिया है, राज्य के विद्वान वकील के तर्क की वैधता का परीक्षण करने के लिए और हम

पता लगाएँ कि संघर्ष का प्रश्न राज्य के बचाव में नहीं जाता है।

सर्वोपरि प्रभाव

10. धारा 45-क्यू, जिसे हमने कहीं और निकाला है, अन्य कानूनों पर अध्याय III-बी पर प्रबल प्रभाव डालती है। इसलिए, गुजरात और केरल राज्य यह तर्क नहीं दे सकते कि उनके द्वारा बनाए गए कानून अध्याय III-B के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।

10.1 हालाँकि गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि गुजरात अधिनियम पंजीकृत एनबीएफसी को छूट देता है आर. बी. आई. अधिनियम के तहत गुजरात अधिनियम के तहत पंजीकरण की मांग से, हमें नहीं लगता कि यह गुजरात राज्य के बचाव में जाएगा। गुजरात अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत एनबीएफसी को गुजरात अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाता है।

इसलिए, गुजरात अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को गुजरात राज्य में संचालित एनबीएफसी पर लागू करने की मांग की जाती है। के अन्य प्रावधान गुजरात अधिनियम में (i) तलाशी और जब्ती की शक्ति; (ii) कुछ पुस्तकों और रजिस्टरों को बनाए रखने और विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता; और (iii) किसी देनदार से मोहरे, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में ली गई किसी भी वस्तु का निपटान तारीख से दो साल की अवधि से पहले नहीं करने का आदेश शामिल है।

अंतिम भुगतान आदि के लिए निर्धारित। गुजरात अधिनियम सिविल न्यायालय को धारा 30 के तहत कुछ लेनदेन को फिर से खोलने और वसूली योग्य ब्याज को सीमित करने का भी अधिकार देता है। गुजरात अधिनियम की धारा 32 को अधिकार देता है -

विवाद के निर्णय का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए उधारकर्ता को दीवानी न्यायालय और दीवानी न्यायालय के समक्ष धन जमा करना। 10.2 दिलचस्प बात यह है कि गुजरात अधिनियम, 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत एनबीएफसी के विनियमन को मौन रूप से मान्यता देता है। फिर भी राज्य को केवल राज्यपाल की मंजूरी मिली।

निष्कर्ष

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि केरल अधिनियम और गुजरात अधिनियम एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित। इसलिए, केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एनबीएफसी द्वारा दायर सभी अपीलों को अनुमति दी जाती है। इसी तरह गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

11.1 परिणामस्वरूप, स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) 2015 की No.359 को भी अनुमति दी जाएगी और एन. ई. डी. यू. एम. पी. आई. एल. आई. एफ. आई. एन. ए. एन. सी. लिमिटेड के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट v.

का राज्य

केराला और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एन. बी. एफ. सी. के अधिकारी को केरल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए खारिज कर दिया जाएगा।

11.2 श्री डेविडसन धर्मराज द्वारा 2012 की सिविल अपील में अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपीलार्थी और उसके अधिकारियों के खिलाफ सिविल अपील में आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसका नाम मेसर्स डेविडसन है। मुथूट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय दंड संहिता के तहत कथित अपराधों के लिए, लेकिन तमिलनाडु प्यादा दलाल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों पर भरोसा करने और केरल और गुजरात उच्च न्यायालयों के फैसलों से उत्पन्न अपीलों में दिए गए किसी भी निर्णय का प्रभाव पड़ सकता है।

उसकी आपराधिक शिकायत पर। हालांकि हमने तमिलनाडु पॉन ब्रोकर्स एक्ट और तमिलनाडु मनी के प्रावधानों की जांच नहीं की है ऋणदाता अधिनियम, इसमें निर्धारित कानून के सिद्धांत, इन राज्य अधिनियमों पर भी समान रूप से लागू होंगे। इसलिए, 2015 की आई. ए. संख्या 2 नामक अभियोग के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

11.3 लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)